भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3548

दिनांक 13 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तंबाकू के सेवन के कारण मृत्यु

†3548. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में तंबाकू के सेवन के कारण वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या देश में तंबाकू के सेवन के कारण होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई पहल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस-2) के दूसरे दौर, 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में तंबाकू से होने वाली मृत्यु दर 1.3 मिलियन से अधिक (लगभग 13 लाख) है। तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), 2003 नामक एक व्यापक कानून बनाया है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम (पीईसीए), 2019 भी अधिनियमित किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तथा उससे संबंधित उपकरणों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय , वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाता है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीओटीपीए के तहत प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने और तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया।

- मंत्रालय ने एक टोल-फ्री नेशनल टूबैको क्विटलाइन सर्विस तंबाकू त्याग हेल्पलाइन सेवा (1800-112-356) स्थापित की है, जिसका संचालन चार क्विटलाइन केंद्रों (दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, बेंगलुरु) द्वारा किया जाता है और यह सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती है। यह हेल्पलाइन क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं सहित 16 भाषाओं में परामर्श सेवा प्रदान करती है।

- एनटीसीपी, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी), राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) आदि के एकीकृत प्रयासों के तहत देश भर में 2,000 से अधिक तंबाकू निवारण केंद्र (टीसीसी) स्थापित किए गए हैं।

- जागरूकता प्रयासों के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2023 से तंबाकू मुक्त युवा अभियान शुरू किया है, जो 60 दिनों का वार्षिक अभियान है। इसका उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के खतरों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें तंबाकू के सेवन से बचने या छोड़ने के लिए सशक्त बनाना है।
